

## मानसून सत्र (जुलाई 2009) के समापन अवसर पर

### माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन

गुरुवार, 30 जुलाई, 2009

माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह पावस सत्र दिनांक 20 जुलाई को आरंभ हुआ, इस सत्र के कुल 08 कार्यदिवसों में हमने निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्यों को पूर्ण किया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस मानसून सत्र का समापन अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है। यद्यपि इस पावस सत्र के शुरुआती दिवसों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई किन्तु मुझे इस बात का संतोष भी है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आपसी समन्वय के माध्यम से सदन के गतिरोध को समाप्त करने में मुझे अपना अधिकतम सहयोग दिया।

आप सभी इस तथ्य से भिन्न हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एक मात्र स्थान होता है, और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परंपराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है और यही संसदीय प्रणाली की सफलता का प्रमुख कारक है। आपके कार्य एवं व्यवहार पर ही राज्य की प्रगति और प्रतिष्ठा एवं इस सर्वोच्च पंचायत की गरिमा निर्भर करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहने का प्रयास करें। मेरे कहने का आशय है कि आप माननीय सदस्य यह विचार करें कि सदन का निर्बाध संचालन कैसे हो ? सदन में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसे हो ? चर्चा के उपरान्त हमने जो निष्कर्ष प्राप्त किया उसका क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ? क्योंकि संसदीय सदन की सार्थकता उपरोक्त बिन्दुओं पर ही निर्भर करती है।

आप माननीय पक्ष के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि प्रतिपक्ष के किसी विषय पर आक्षेप अथवा आरोप को आप व्यक्तिगत तौर पर न लें बल्कि आपका यह प्रयास हो कि प्रतिपक्ष को अपनी बातों से आप किस हद तक संतुष्ट कर पाते हैं। प्रतिपक्ष की संतुष्टि ही पक्ष के सदस्यों की सफलता कहलाती है। वहीं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से इस अवसर पर मेरा आग्रह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज करने की जो मान्य प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत ही विरोध प्रकट करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिपक्ष के अवरोध से अगर सदन की चर्चा बाधित होती है तो मेरे विचार से अवरोध को समाप्त करने की दिशा में आपकी सकारात्मक पहल ही प्रतिपक्ष का सम्मान संवर्धित करती है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को चाहिए कि आप सरकार को मुद्दों पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए बाध्य करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी बात पर किसी सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्धारण सुनिश्चित होता है। मैं समझता हूँ आप सभी माननीय सदस्य मेरे इस मत से सहमत होंगे। कठिनतम परिस्थितियों में संसदीय सदन का निर्बाध संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने की प्रथम आवश्यकता है जो आप समस्त माननीय सदस्यों के सहयोग से ही संभव है।

मैंने पूर्व सत्र में भी आप माननीय सदस्यों से यह आग्रह किया था कि आप सब अपनी क्षमताओं की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। विषय विशेष पर प्रमाणित जानकारियों के साथ सार्थक चर्चा का लाभ न केवल आप सबको अपितु आपके क्षेत्र एवं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आपके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे आप सभी माननीय सदस्य कृत-संकल्पित नज़र आये। इस सत्र में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश की आम जनता से जुड़े लगभग सभी मामले स्थगन, ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से इस सदन में उठाए। नक्सलवाद की समस्या, धान खरीदी में

अनियमितता, पर्यावरण प्रदूषण, सहित अनेक लोक महत्त्वों के विषयों पर विभिन्न माध्यमों से सार्थक चर्चा हुई। अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित विधिक कार्यों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा।

इस सत्र के कुल 8 दिवसों में लगभग 29 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई। 8 बैठकों में 68 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 8.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 661 तारांकित प्रश्न एवं 411 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1072 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 368 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 123 सूचनाएँ ग्राह्य हुईं। इस सत्र में कुल 116 स्थगन की सूचना प्राप्त हुईं। शून्यकाल की 112 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 71 सूचनाएँ ग्राह्य और 41 सूचनाएँ अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 149 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिनमें 69 ग्राह्य व 80 अग्राह्य रही। 26 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 7 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 2 संकल्प चर्चा उपरांत स्वीकृत हुए एवं एक अस्वीकृत हुआ। इस सत्र में 5 विधेयकों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं और 5 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 5 पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 57 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के 28 जनप्रतिनिधि एवं 228 छात्र/छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर विशेष रूप से मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष जी एवं आप माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने सदन के व्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सकारात्मक सहयोग दिया।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने गुरुत्तर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परंपरा रही है तदनुसार आगामी सत्र दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

**धन्यवाद! जय हिन्द! जय छत्तीसगढ़!**